राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2019/513 जयपुर, दिनांक: 12.6.2019

::अधिसूचना::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा–98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा–9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित ज़िले के ज़िला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात् तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है ।

आज्ञा से,
(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त ज़िला कलेक्टर, राजस्थान।
8. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)

www.studywithrsm.com
Sep 10, 2019, 5:24 PM
Scanned by CamScanner

पुनर्गठन
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2019/514 जयपुर, दिनांकः 12.6.2019

ज़िला कलेक्टर,
समस्त(राजस्थान) ।

विषयः– पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–101 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन।

राज्य की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों की सीमाओं में परिवर्तन व नवसृजन के लिये सभी ज़िला कलेक्टर्स को अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2019/513 दिनांक 12.6.2019 के द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–9, 10 व 101 की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जा चुका है । जिसके क्रम में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकडों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किये जायें। जिसके लिए प्रकिया एवं मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:–

1.1 ग्राम पंचायतों हेतुः–

1. पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु न्यूनतम जनसंख्या 4,000 एवं अधिकतम 6,500 रखी जाये।

2. (क) किसी ग्राम के निवासियों की मांग और प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे ग्रामों को वर्तमान ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु उस ग्राम की दूरी नई ग्राम पंचायत के मुख्यालय से 8 किमी से अधिक की नहीं हो ।

www.studywithrsm.com
Sep 10, 2019, 5:24 PM

Scanned by CamScanner

(ख) राज्य के अनुसूचित एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों के लिए दूरी का निर्धारण करने हेतु जिला कलेक्टर प्रशासनिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्वयं निर्णय ले सकते हैं ।

3. नवगठित होने वाली या विभाजित होने वाली पंचायतों में वार्डों का गठन पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–12(2) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार किया जाये कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या यथासंभव सम्पूर्ण पंचायत सर्किल में समान रहे परन्तु किसी भी पंचायत में वार्डों की संख्या 5 से कम नहीं होगी।

4. किसी भी राजस्व ग्राम को विभाजित कर दो पंचायतों में नहीं रखा जायेगा, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम एक ही पंचायत में रहेगा ।

1.2 पंचायत समितियों हेतु :–

1. पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु **40** एवं उससे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या से अधिक संख्या तथा **2.00** लाख या उससे अधिक आबादी वाली पंचायत समितियों को पुनर्गठित किया जाये, किन्तु पुनर्गठित/नवसृजित पंचायत समिति में न्यूनतम **25 ग्राम पंचायतें** रखी जायें।

   उदाहरणार्थः किसी पंचायत समिति में 42 ग्राम पंचायतें होने की दशा में नवसृजित एक पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतें व अन्य में 17 ग्राम पंचायतें होंगी तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुकूल होने पर उसके नजदीक की किसी एक या एक से अधिक पंचायत समितियों में से 8 ग्राम पंचायतें लेकर 17 ग्राम पंचायतों वाली पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतें रख सकेंगे। यदि ऐसा किया जाना संभव नहीं हो तो नवसृजित एक पंचायत समिति में 25 से कम ग्राम पंचायतें भी रखी जा सकती हैं ।

2. जनसुविधा व प्रशासनिक दृष्टिकोण से नवसृजित व पुनर्गठित होने वाली पंचायत समितियों में नजदीक की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया जा सकता है। परन्तु किसी ग्राम पंचायत को विभाजित कर दो पंचायत समितियों में नहीं रखा जायेगा।

www.studywithrsm.com
Sep 10, 2019, 5:24 PM

Scanned by CamScanner

3. पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों का गठन पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–13(2) के अनुसार इस प्रकार किया जायेगा कि पंचायत समिति सर्किल में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (Territorial constituency) में जनसंख्या समान हो। विभाजित होने वाली पंचायत समिति के जो वर्तमान वार्ड नवगठित होने वाली पंचायत समिति में सम्मिलित हो रहे हैं, नई पंचायत समिति के वार्ड उन्हीं के अनुसार होंगे केवल उनके नम्बर परिवर्तित होंगे। यदि कोई वर्तमान वार्ड का क्षेत्र दो पंचायत समितियों में विभाजित हो रहा है तो विभाजित होने वाले वार्ड को नया वार्ड बनाया जा सकता है या किसी वर्तमान वार्डों में सम्मिलित किया जा सकता है। परन्तु नवगठित होने वाली एवं विभाजित होने वाली पंचायत समिति में वार्डों की न्यूनतम संख्या 15 होगी।

4. किसी पंचायत समिति क्षेत्र को धारा–13 के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करते समय प्राधिकृत अधिकारी, यथासाध्य, समीपस्थ पंचायतों को एक निर्वाचन क्षेत्र में रखेगा । यदि निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के समान वितरण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक हो।

2. उपर्युक्तानुसार निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देशों की पालना की जाये :–

2.1 बिन्दु संख्या 1.1 व 1.2 के अनुसार प्रस्तावों का पूर्ण विवरण देते हुए उनका प्रकाशन नीचे दी गई समय–सारिणी में अंकित निर्धारित अवधि तक आवश्यक रूप से करवाया जाये। यह प्रकाशन अन्तिम निर्धारित तिथि से पूर्व भी किया जा सकता है ।

2.2 इन प्रस्तावों का प्रदर्शन जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्डों पर सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रकाशन किया जाये । जिस ग्राम पंचायत की वर्तमान सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन होना है तो इस परिवर्तन से प्रभावित संबंधित ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्डों पर भी उनसे संबंधित प्रस्ताव का प्रकाशन करवाया जाये। उपरोक्त के अलावा भी जिला कलेक्टर अन्य प्रचार–प्रसार माध्यमों से भी प्रस्तावों को प्रचारित कर सकते है ।

2.3 प्रदर्शित प्रस्तावों में जन साधारण को स्पष्ट रूप से यह सूचना दी जानी चाहिये कि वे इन प्रस्तावों के संबंध में अपनी आपत्तियां एवं सुझाव जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार को प्रकाशन तिथि से 30 दिवस तक की अवधि में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

www.studywithrsm.com
Sep 10, 2019, 5:24 PM

Scanned by CamScanner

2.4 प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात, जिला कलेक्टर अपनी अभिशंषा के साथ नीचे दी गई समय–सारिणी में वर्णित समय सीमा तक समस्त प्रस्ताव (ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों)पंचायती राज विभाग को आवश्यक रूप से भिजवायें।

2.5 जिला कलेक्टर्स द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि उनके द्वारा पंचायती राज विभाग को प्रेषित किये गये समस्त प्रस्तावों के संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–101 के तहत कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

2.6 जिन ग्राम पंचायतों के आंशिक क्षेत्रों को नगरीय निकायों(नवगठित नगर पालिकाओं) में सम्मिलित किया गया है, उनके ऐसे क्षेत्र/राजस्व ग्राम जो शेष रह गये हैं को समीप की किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा यदि ऐसे शेष रह गये क्षेत्र/राजस्व ग्राम जनसंख्या के मानदण्ड के अनुरूप नवीन ग्राम पंचायत के गठन की सीमा में आ रहे हों तो नवीन ग्राम पंचायत बनाये जाने के प्रस्ताव भी तैयार किये जायें ।

3. ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम नीचे दी गई समय–सारिणी के अनुसार निर्धारित किया जाता है:–

ज़िला कलेक्टर द्वारा नई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के प्रस्ताव तैयार कर प्रकाशन के लिये	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 101 के तहत प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए	ड्राफ्ट प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई करने के लिए	सुनवाई के उपरान्त प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को भिजवाने के लिए
30 दिवस (15 जून से 14 जुलाई, 2019 तक)	30 दिवस (15 जुलाई से 13 अगस्त, 2019 तक)	10 दिवस (14 अगस्त से 23 अगस्त, 2019 तक)	10 दिवस (24 अगस्त से 02 सितम्बर, 2019 तक)

4. यह उल्लेखनीय है कि राज्य में ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों दोनों ही संस्थाओं के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन का कार्य उपरोक्त निर्धारित समयावधि में साथ–साथ समानान्तर किया जाना है। अतः आपको सुझाव दिया जाता है कि आप अपने–अपने ज़िले में पंचायत समितियों के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव साथ–साथ तैयार कर लेवें तथा जैसे ही ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों

www.studywithrsm.com
Sep 10, 2019, 5:24 PM
Scanned by CamScanner

को आप प्रकाशन हेतु अंतिम रूप देंगे उसी समय जिस–जिस पंचायत समिति में नई ग्राम पंचायतों की संख्या में प्रस्तावों के अनुरूप वृद्धि हो रही हो तो उसी अनुरूप पंचायत समितियों के पुनर्गठन के प्रस्ताव में भी उसे सम्मिलित कर लेवें।

5. यह भी ध्यान रखा जावे कि नवसृजित/पुनर्गठित ग्राम पंचायत का क्षेत्र पूरा एक ही विधान सभा क्षेत्र में हो, न कि एक से अधिक विधान सभा क्षेत्र में ।

6. राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी–फरवरी, 2020 में नियत हैं। ऐसी स्थिति में आपका यह दायित्व बनता है कि ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन की सम्पूर्ण प्रकिया ऊपर दी गई समय सीमा में आवश्यक रूप से सम्पन्न करें। उक्त दिशा–निर्देशों के संबंध में किसी प्रकार की शंका का समाधान करवाया जाना हो तो इस कार्य हेतु पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री बी0डी0 कृपलानी (मोबा. नं. 9414251727) एवं कार्यालय दूरभाष सं0 0141–2227080 से सम्पर्क किया जा सकता है।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरित मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, राजस्थान ।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)

www.studywithrsm.com
Sep 10, 2019, 5:24 PM

Scanned by CamScanner